जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(राजस्व–शाखा)

पत्रांक : /रा0

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, पो० हिनू, राँची।

चाईबासा, दिनांक :–

विषय : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा–टोन्टों–रोआम पथ निर्माण परियोजना में अपयोजित जंगल–झाड़ी भूमि के बदले टोन्टों अंचलान्तर्गत मौजा पालीसाई में 113.72 एकड़ किस्म जंगल–झाड़ी भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को निःशुल्क भू–हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश : पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोन्टो अंचल अंतर्गत इस कार्यालय पत्रांक– 15(ए)/रा० दिनांक–27.01.2021 के द्वारा पूर्व में चाईबासा–टोन्टों–रोआम पथ एवं मोंगरा–बरकेला पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए अपयोजित जंगल–झाड़ी भूमि के बदले मौजा– पालीसाई में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 158.60 एकड़ गैर मजरूआ हस्तांतरित भूमि को रद्द करते हुए पुनः पश्चिमी सिंहभूम जिला के निम्नांकित विवरण की भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–4/स०भू० नीति–154/2016–5504/रा० दिनांक 07.10.2016 के निदेशानुसार निम्न शर्त्तों के अधीन अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तांतरण की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र०	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)
1	चाईबासा– टोन्टों– रोवाम पथ निर्माण	पालीसाई	687	02	19	18.00
2					135	38.36
3					274/अंष	17.00
4					64	06.09
5					622	15.00
6					82	2.04
7					92	12.95
8					269	4.28
					कुल	113.72

क– इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन में इसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह जमीन स्वतः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

ख– इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, सोसाइटी, सहकारी संस्था, ट्रस्ट, अन्य विभाग या अन्य किसी को किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) आवासीय, व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग अथवा किसी भी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।

ग– जिस प्रयोजन के लिए भू–हस्तांतरण किया जा रहा है। उस भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए की जाय।

घ– भू–हस्तांतरण के पश्चात् संबंधित विभाग को 6 (छः) माह के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना होगा।

ड.– अन्य सभी शर्त्ते इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागु होगी।

ह०—
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

/1/2022
Executive Engineer
RCD, Road Division, Chaibasa
Cum.
DGM, SHAJ, Chaiba...

ज्ञापांक : 16(A) /रा0, दिनांक 21.01.22

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।
6. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर चाईबासा को उनके पत्रांक 52(बी)/रा०, दिनांक 19.01.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चाईबासा को हस्तांतरित भूमि का एक प्रति ट्रेस नक्सा के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. अंचल अधिकारी, टोन्टो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विषय से संबंधित अभिलेख संख्या 04/2020–21 इसके साथ संलग्न कर मूल रूप में वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि हस्तांतरित भूमि का सीमांकन कर अधियाची विभाग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करेंगे तथा राजस्व पंजी में इसकी प्रविष्टि करेंगे।

21/1/22

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Executive Engineer
RCD, Road Division, Chaibasa
24/1/2022
DGM, SHAJ, ...

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 266(B)/रा०

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल,
चाईबासा।

दिनांक 02.02.22

विषय– वन भूमि के अपयोजन हेतु Uploading की कार्रवाई के लिए चयनित भूमि का अधिभार मुक्त एवं अतिक्रमित मुक्त है के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक– 38(अनु०)/चाईबासा दिनांक– 11.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, टोन्टो के द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर चाईबासा–टोन्टो–रोआम पथ निर्माण हेतु मौजा– पालीसाई, खाता संख्या– 02, प्लॉट संख्या– 19/अंश, 135, 274/अंश, 64, 622/अंश, 82, 92 एवं 269, रकवा क्रमशः– 18.00 एकड़, 38.36 एकड़, 17.00 एकड़, 06.09 एकड़, 15.00 एकड़, 2.04 एकड़, 12.95 एकड़, एवं 4.28 एकड़, कुल रकवा– 113.72 एकड़, किस्म जमीन– जंगल–झाड़ी भूमि अधिभार मुक्त एवं अतिक्रमित मुक्त है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

2/2/22

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

2/2/2022
Executive Engineer
RCD, Road Division, Chaibasa
Cum.
DGM, SHAJ, Chaibasa

C:\Users\hp\Desktop\Letter 2022.docx